

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/12430-530 दिनांक:- 28/02/2014

आदेश संख्या - 390/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बैंड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4800/-में स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01.	छोटू राम स्वामी	38/94	19.02.1996	19.02.2014	
02.	श्रीराम शर्मा	55/94	19.02.1996	19.02.2014	
03.	लालचन्द मित्तल	67/94	19.02.1996	19.02.2014	
04.	अनिल कुमार कासलीवाल	70/94	19.02.1996	19.02.2014	
05.	बृजमोहन गुप्ता	124/94	19.02.1996	19.02.2014	
06.	संजीव कुमार ऐरन	133/94	19.02.1996	19.02.2014	
07.	संजय सक्सेना	136/94	19.02.1996	19.02.2014	
08.	रणजीत सिंह राठौड़	138/94	19.02.1996	19.02.2014	
09.	संदीप लुहाड़िया	140/94	19.02.1996	19.02.2014	
10.	मधुसूदन शर्मा	141/94	19.02.1996	19.02.2014	
11.	अजय कुमार बगरेट	155/94	19.02.1996	19.02.2014	
12.	घीसा लाल शर्मा	159/94	19.02.1996	19.02.2014	
13.	राकेश कुमार दुबे	182/94	19.02.1996	19.02.2014	
14.	बाबू लाल माली	224/94	24.02.1996	24.02.2014	
15.	ज्ञान चन्द जैन	239/94	20.02.1996	20.02.2014	
16.	राजेश कुमार	297/94	20.02.1996	20.02.2014	
17.	संजय गुप्ता	311/94	22.02.1996	22.02.2014	
18.	भंवर लाल प्रजापत	394/94	24.02.1996	24.02.2014	
19.	अजय कुमार सैनी	475/94	26.02.1996	26.02.2014	
20.	रूपचन्द कुम्हार	498/94	19.02.1996	19.02.2014	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आशवासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

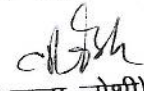
acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)

40

क्रम संख्या 01, 04, 06, 08, 11, 12 एवं 19 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/12430-12530 दिनांक 28/12/04
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/गार्ड फाईल ।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)